F.No. J-11012/7/2022-PLANNING
Government of India
Ministry of Culture
Archaeological Survey of India

Dharohar Bhawan,
24, Tilak Marg, New Delhi-110001
Dated the, 29th May, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Modified Recruitment Rules for the posts of Horticulture Assistant Gr.I and Horticulture Assistant Gr.II in ASI notified vide G.S.R.387(E), dated 22nd May, 2023.

The undersigned is directed to enclose herewith the modified Recruitment Rules for the posts of Horticulture Assistant Gr.I and Horticulture Assistant Gr.II in ASI notified vide G.S.R.387(E), dated 22nd May, 2023 for information and necessary action.

29/5/23

Encl:- As above.

(M. Jena)
Director(Administration)

1. PS to Secretary(Culture)/JS(ASI), Ministry of Culture, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. PS/PA to DG/ADG(Adm.)/All Jt.DGs/All Directors at ASI Hqrs.
3. The Principal Pay and Accounts Officer, Ministry of Culture, Shastri Bhawan, New Delhi-110011.
4. Dy. Director(Admn.)/Dy. Director(A/C), ASI Hqrs., Dharohar Bhawan, 24, Tilak Marg, New Delhi.
5. All Regional Directors of ASI/ All Archaeological Offices.
6. Adm.I/Adm.II/Vigilance/Cash Section, ASI Hqrs., Dharohar Bhawan, 24, Tilak Marg, New Delhi.
7. Pay and Accounts Office, ASI, New Delhi/Hyderabad.
8. Website Section, ASI Hqrs. Office, Dharohar Bhawan, 24, Tilak Marg, New Delhi.
9. The President/Secretary General, AIASA, New Delhi.
10. Hindi Section.
11. Office Order Folder/Guard File.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052023-246066
CG-DL-E-25052023-246066

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 2023/ज्येष्ठ 4, 1945
No. 313] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2023/JYAISHTHA 4, 1945

संस्कृति मंत्रालय

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2023

सा.का.नि. 387(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, फोरमैन (उद्यान), उद्यान सहायक ग्रेड ॥ और उद्यान सहायक ग्रेड । (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 को जहां तक उसका संबंध उद्यान सहायक ग्रेड ॥ और उद्यान सहायक ग्रेड । के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में उद्यान सहायक ग्रेड ॥ और उद्यान सहायक ग्रेड । के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .--- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उद्यान सहायक ग्रेड ॥ और उद्यान सहायक ग्रेड । (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम, इन नियमों की अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .--- पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अहर्ताएं, आदि --- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता – वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :-

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति --- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति --- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उद्यान सहायक ग्रेड II	72*(2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	**स्तर** – 4 (25500-81100 रू.)	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच **टिप्पण 1** : केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है **टिप्पण 2** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
(7)	(8)	(9)
आवश्यक अहर्ताएं : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान या कृषि में स्नातक डिग्री	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया जाना भी सम्मिलित है।